14/5/25

पत्रावली ... अन्य राज्य ... आहत को पत्रावली पू... है। अतः ... को पेश हो। ... 21/5/25

[illegible]

21/5/25

पत्रावली पेश हुई। ... प्रार्थी का प्रा०पत्र 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विचारणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। [illegible] पत्रावली नम्बर से ... दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (...र)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

प्रार्थना पत्र सख्यां /2025

1 राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भू दयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भम्भौरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2 राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री ग्यारसीलाल चौधरी जाति जाट निवासी 16, अडवानी ढाणी, ग्राम झाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव कार्यालय पता इन्द्रा सर्किल, जे. एल.एन मार्ग जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि :—

1 यह कि प्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा न0 283/1 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम खटवाडा पटवार हल्का महापुरा भू. अभि. नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग मे लेते रहा है।

2 यह कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 283 रकबा 0.94 है0 मे से 0.92 है0 भूमि सेज 200 फीट सम्पर्क सडक ग्राम महापुरा, नेवटा, खटवाडा, भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के लिए आवाप्त कर ली थी तथा 0.90 है0 भूमि पर सडक का निमार्ण भी कर दिया था। शेष रही 0.04 है0 भूमि का बटटा नम्बर 283/1 बना दिया। और उसी अनुसार तरमीम भी कर दि गई। जिसके चारो ओर प्रार्थीगण ने पुख्ता बाउण्डरवॉल बना कर अपने उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है।

Rajendra

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 307/2025
निर्णय दिनांक : 21.05.2025

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भु दयाल शर्मा जाति महाजन निवासी ग्राम भम्भौरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री प्यारशीलाल चौधरी जाति जाट निवासी 16, अडवानी ढाणी, ग्राम झाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज०)
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव कार्यालय पता इन्द्रा सर्किल, जे. एल.एन. मार्ग जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा न0 283/1 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम खटवाडा पटवार हल्का महापुरा भू. अभि. नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग मे लेते रहा है। प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 283 रकबा 0.94 है० मे से 0. 92 है० भूमि सेज 200 फीट सम्पर्क सडक ग्राम महापुरा, नेवटा, खटवाडा, भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के लिए आवाप्त कर ली थी तथा 0.90 है० भूमि पर सडक का निमार्ण भी कर दिया था। शेष रही 0.04 है० भूमि का बटटा नम्बर 283/1 बना दिया। और उसी अनुसार तरमीम भी कर दि गई। जिसके चारो ओर प्रार्थीगण ने पुख्ता बाउण्डरवॉल बना कर अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। अप्रार्थी सख्या दो ने दिनांक 24.10.2024 को एक पत्र कमांक जविप्रा/उप्रा/जोन–11/2024/डी–2449 आप्रार्थी सख्या एक को राजस्व नक्शे मे तरमीम का सुधार करने बाबत भिजवाया कि सेज 200 फीट सम्पर्क सडक ग्राम महापुरा, नेवटा खटवाडा, भांकरोटा तहसील सांगानेर के भूमि के अवार्ड के मुकदमा नम्बर 1317/2005 के अनुसार ग्राम खटवाडा के खसरा न० 283 कुल रकबा 0.94 है० मे से 0.92 है० भूमि आवाप्त की है शेष 0.02 हैक्टयरे खातेदार की बचती है। राजस्व जमाबन्दी में 0.92 है० गै.मु. सडक जविप्रा के नाम हो गया तथा 0.02 है० खातेदारो के नाम इन्द्राज हो गया किन्तु पी.टी. सर्वे के अनुसार नक्शे मे खसरा नम्बर 283 का क्षेत्रफल 0.90 हैक्टयेर ही हो रहा है तथा खसरा नम्बर 283/1 का क्षेत्रफल 0.04 है० हो रहा है। अतः खसरा नम्बर 283/1 की 0.02 है. की तरमीम संलग्न नक्शे के अनुसार की जाकर इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करे। जिसके आधार पर अप्रार्थी सख्या एक ने बिना किसी नोटिस व बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत रूप से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि की तरमीम कर दी गई। जिसको न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। आप्रार्थी सख्या दो के द्वारा 200 फीट सडक निर्माण के लिए प्रार्थीगण की भूमि खसरा न० 283 रकबा 0.94 है0 में से 0.92 है० भूमि को आवाप्त किया था परन्तु अप्रार्थी सख्या दो के अधिकारीयो व कर्मचारीयो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ने प्रार्थीगण की भूमि के पडौसी खातेदार को अनैतिक व अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से प्रार्थीगण की शेष रही भूमि खसरा न0 283/1 रकबा 0.02 है० की गलत रूप से तरमीम अप्रार्थी सख्या एक से करवा दी। जो कानूनन गलत है। जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सख्या दो के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को 200 फीट सडक के प्रयोजन के लिए आवाप्त किया गया था तथा अप्रार्थी सख्या दो के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि मे 200 फीट रोड का निर्माण भी कर दिया गया तथा अप्रार्थी सख्या एक के द्वारा तरमीम भी कर दी गई थी। इसके पश्चात भी अप्रार्थी सख्या दो के अधिकारीयो व कर्मचारीयो ने पडौसी काश्तकारो से मिलीभगत कर गलत रूप से बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत तरमीम सडक बाउण्डरी से हटकर की गई है। जो प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शे से बखुबी स्पष्ट है। दिनांक 15.04.2025 को अप्रार्थी सख्या दो के अधिकारी व कर्मचारी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि पर बनी हुयी बाउण्डरीवॉल को तोडने आये तो प्रार्थीगण ने कहा कि उक्त भूमि आवाप्त शुद्धा भूमि से शेष रही भूमि है तथा आपके द्वारा आवाप्तशुद्धा सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण किया जा चुका है। तो अप्रार्थी सख्या दो के अधिकारीयो ने प्रार्थीगण को धमकी दी उक्त भूमि की तरमीम को बदल दिया गया है। जिससे पडौसी काश्तकार का 200 फीट रोड पर फन्ट खुलेगा। आप जल्द से जल्द उक्त भूमि की बाउण्डरीवॉल को हटा ले अन्यथा आपकी भूमि मे बनी हुयी पुख्ता बाउण्डरीवॉल को तोडकर जबरन बेदखल कर देगे। जिस पर प्रार्थीगण ने जमाबन्दी व नक्शाट्रेस निकलवाया तो जानकारी हुयी कि पडौसी काश्तकारो ने अप्रार्थी सख्या दो के अधिकारीयो व कर्मचारीयो एव अप्रार्थी सख्या एक से मिलीभगत कर प्रार्थीगण की भूमि की पूर्व मे की गई तरमीम को गैर कानूनी तरीके से बदल दी गई है। जिससे पडौसी काश्तकार की भूमि मुख्य 200 रोड से जुड सके। जो प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शाट्रेस से बखुबी स्पष्ट है। जिसको न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है। प्रार्थीगण की आराजी भूमि खसरा न० 283 मे सडक बन जाने के पश्चात शेष रही भूमि खसरा न0 283/1 व 283 की तरमीम अप्रार्थी सख्या एक के द्वार कर दी गई थी। तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण ने अपनी भूमि पी. टी सर्वे करवाकर चारो ओर पुख्ता बाउण्डरीवॉल का निर्माण कर लिया था जिस पर प्रार्थीगण अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है को अप्रार्थी सख्या दो के अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा पूर्व में की गई तरमीम को अप्रार्थी सख्या एक से गैर कानूनी रूप से बदल दिया और जिसके आधार पर प्रार्थीगण की भूमि मे बनी हुयी बाउण्डरीवॉल को गैर कानूनी रूप से तोड फोड करने पर आमादा है। इस कारण अप्रार्थी सख्या दो को पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक प्रार्थीगण की भूमि की तरमीम पूर्व अनुसार नही हो जाती तब तक उसमे किसी प्रकार की तौड–फोड नहीं करे और न ही प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग में बाधा उत्पन्न करे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शाट्रेस जिसमे प्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 283/1 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की तरमीम कर दी गई थी जिसको गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा अप्रार्थी सख्या एक से गलत रूप से तरमीम को बदलवा दिया गया है उसको पूर्व नक्शाट्रेस के अनुसार दुरूस्त किये जाने के लिए अप्रार्थी संख्या एक को आदेशित किये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस आशय का जवाव पेश किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं. 3 में प्रार्थी का यह वर्णित करना कि "अप्रार्थी सं. 2 ने विवाक 24.10.2024 को एक पत्र क्रमांक जविप्रा/जोन–11/ 2024/डी–2449 अप्रार्थी सं.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

को राजस्व नक्शे में तरमीम का सुधार करने बाबत भिजवाया कि रोज 200 फीट सम्पर्क सडक ग्राम महापुरा, नेवटा, खडवाडा, भांकरोटा तहसील सांगानेर की भूमि के अवार्ड के मुकदमा नं. 1317/2005 के अनुसार ग्राम खटवाडा के खसरा नंबर 283 कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर मे से 0.92 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की है शेष 0.02 हैक्टेयर खातेदार की बचती है, राजस्व जमाबंदी मे 0.92 हैक्टेयर गै.मु. सडक जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम हो गई तथा 0.02 हैक्टेयर खातेदारो के नाम इंद्राज हो गया किन्तु पीटी सर्वे के अनुसार नक्शे में 0.90 हैक्टेयर ही हो रहा है तथा खसरा नं. 283/1 का क्षेत्रफल 0.04 हैक्टेयर हो रहा है अतः खसरा नं. 283/1 की 0.02 हैक्टेयर की तरमीम संलग्न नक्शे अनुसार की जाकर इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करे" का कथन रिकॉर्ड का विषय है। शेष कथन जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है। उक्त पत्र के अनुक्रम में तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद सं. 358/2024 उनवानी राज. सरकार वनाम जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान द्वारा विधि अनुसार मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की जांच उपरांत पश्चात निर्णय दिनांक 29.11.2024 द्वारा खसरा नं. 283 व 283/1 की तरमीम संलग्न दस्तावेज नक्शे व पीटी सर्वे अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने पर उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर विधि अनुसार तरमीम की जा चुकी है जिस मुकदमा नं. 358/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 29.11.2024 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई अपील मन अप्रार्थी की जानकारी में प्रस्तुत नही की गई है, उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2024 के विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति द्वारा कानूनन अपील पोषणीय होने से एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 निम्न प्रकार है— Correction of errors & The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clearical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties] के प्रावधान अनुसार दोनो पक्षकारो की ओर से स्वीकृत रूप से हुई त्रुटि ही दुरूस्त किये जाने का कानूनी प्रावधान है। प्रार्थना पत्र का मद सं. 4 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है अस्वीकार है, भूमि खसरा नंबर 283 रकबा 0.94 हैक्टेयर मे से लोक प्रयोजनार्थ हेतु ग्राम महापुरा, नेवटा, खटवाडा, भांकरोटा, तहसील सांगानेर के लिए विधि अनुसार मुकदमा सं. 13.7.05 के द्वारा न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर योजनाये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्त कर विधि अनुसार अवार्ड पारित किया गया है जिसकी पालना में खसरा नंबर 283 रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि नक्शे मे सही रूप से तरमीम नही कर रकबा 0.90 हैक्टेयर ही तरमीम कर देने से उक्त तरमीम को वाद स. 358/2024 के निर्णय दिनांक 29.11.2024 द्वारा दुरूस्त किया जा चुका है जो एक अपीलीय आदेश है तथा उक्त दुरूस्ती सक्षम न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सुनवायी कर की गई है, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 114 Contents of record of rights The record of rights shall be prepared in such manner as may be prescribed by the State Government and shall consist of the rollowing, namely & (a) a khewat, this is to say, a register of all estate - holders in the area under survey and record operations or under record operations, specifying the nature and extent of the interest of each and his co-sharers, mortgages in possession and persons holding land from him otherwise than as tenants, if any((b) a khatauni, that is to say] a register of all persons cultivating or otherwise holding or occupying land in such area] specifying the particulars required by Section 121, (c) a register of all persons holding land in such area free of rent or revenue; and (d) such other registers as may be prescribed- के अनुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से नक्शे में दुरूस्ती चाही गई है, नक्शा अधिकार अभिलेख नही है तथा अवाप्तशुदा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर हिलीय (सांगानेर)

की अवार्डशुदा भूमि के नक्शे को हाल नक्शा मे विधि अनुसार तरमीम नही करने पर ही विधि अनुसार नक्शा निर्णय दिनांक 29.11.2024 के द्वारा दुरूस्त किया जाकर उक्त निर्णय की पालना मे राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जा चुका है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि कानूनन एवं न्यायहित में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को परिस्थितियों के मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 खारिज फरमाये जाने के आदेश फरमाये।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सूनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शाट्रेस जिसमे प्रार्थीगण की भूमि खसरा न0 283/1 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर की तरमीम कर दी गई थी जिसको गैर कानूनी रूप से अप्रार्थी संख्या दो के द्वारा अप्रार्थी सख्या एक से गलत रूप से तरमीम को बदलवा दिया गया है उसको पूर्व नक्शाट्रेस के अनुसार दुरूस्त किये जाने के लिए अप्रार्थी संख्या एक को आदेशित किये जावे एवं अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड हाल नक्शे व पुराने नक्शे का आद्योपांत अवलोकन करने व वकील उभयपक्षकारान की बहस का मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने 24.10.2024 को एक पत्र क्रमांकःजविप्रा/जोन–11/2024/डी–2449 तहसीलदार सांगानेर को राजस्व नक्शे में तरमीम का सुधार करने बाबत भिजवाया जिसमें कथन किया कि सेज 200 फीट सम्पर्क सडक ग्राम महापुरा, नेवटा, खटवाडा, भांकरोटा तहसील सांगानेर की भूमि के अवार्ड के मुकदमा नं. 1317/2005 के अनुसार ग्राम खटवाडा के खसरा नंबर 283 कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर मे से 0.92 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की है शेष 0.02 हैक्टेयर खातेदार की बचती है, राजस्व जमाबंदी में 0.92 हैक्टेयर गै.मु. सडक जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम हो गई तथा 0.02 हैक्टेयर खातेदारो के नाम इंद्राज हो गया किन्तु पीटी सर्वे के अनुसार नक्शे में 0.90 हैक्टेयर ही हो रहा है तथा खसरा नं. 283/1 का क्षेत्रफल 0.04 हैक्टेयर हो रहा है अतः खसरा नं. 283/1 की 0.02 हैक्टेयर की तरमीम संलग्न नक्शे अनुसार की जाकर इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करे। उक्त पत्र के अनुक्रम में तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायालय के समक्ष वाद सं. 358/2024 उनवानी राज. सरकार बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा विधि अनुसार मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की जांच उपरांत पश्चात निर्णय दिनांक 29.11.2024 द्वारा खसरा नं. 283 व 283/1 की तरमीम संलग्न दस्तावेज नक्शे व पीटी सर्वे अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने पर उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर विधि अनुसार तरमीम की जा चुकी है जिस मुकदमा नं. 358/2024 मे पारित निर्णय दिनांक 29.11.2024 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई अपील मन अप्रार्थी की जानकारी में प्रस्तुत नही की गई है, उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2024 के विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति द्वारा कानूनन अपील पोषणीय होने से एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 निम्न प्रकार है– Correction of errors & The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clearical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties] के प्रावधान अनुसार दोनो पक्षकारो की ओर से स्वीकृत रूप से हुई त्रुटि ही दुरूस्त किये जाने का कानूनी प्रावधान है। भूमि खसरा नंबर 283 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हैक्टेयर मे से लोक प्रयोजनार्थ हेतु ग्राम महापुरा, नेवटा, खटवाड़ा, चाकसू, सहीत
लाने के लिए विधि अनुसार मुकदमा सं. 13.7.05 के द्वारा न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी
योजनायें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्त कर विधि अनुसार अवार्ड पारित
गया है जिसकी पालना में खसरा नंबर 283 रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि नक्शे मे सही
से तरमीम नही कर रकबा 0.90 हैक्टेयर ही तरमीम कर देने से उक्त तरमीम को वाद
358/2024 के निर्णय दिनांक 29.11.2024 द्वारा दुरूस्त किया जा चुका है जो एक
लिपीकीय आदेश है तथा उक्त दुरूस्ती सक्षम न्यायालय द्वारा विधि अनुसार पूर्णवाही कर की
गई है, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 114 Contents of record of rights The record of rights shall be prepared in such manner as may be prescribed by the State Government and shall consist of the rollowing, namely & (a) a khewat, this is to say, a register of all estate - holders in the area under survey and record operations or under record operations, specifying the nature and extent of the interest of each and his co-sharers, mortgages in possession and persons holding land from him otherwise than as tenants, if any((b) a khatauni, that is to say] a register of all persons cultivating or otherwise holding or occupying land in such area] specifying the particulars required by Section 121, (c) a register of all persons holding land in such area free of rent or revenue; and (d) such other registers as may be prescribed- के अनुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से नवशे में दुरूस्ती चाही गई है, नवशा अधिकार अभिलेख नही है तथा अवाप्तशुदा एवं अवार्डशुदा भूमि के नवशे को हाल नवशा मे विधि अनुसार तरमीम नही करने पर ही विधि अनुसार नवशा निर्णय दिनांक 29.11.2024 के द्वारा दुरूस्त किया जाकर उक्त निर्णय की पालना में राजस्व नवशा दुरूरत किया जा चुका है। धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिकार्ड ऑफ राईट में दानों पक्षकारो की ओर से स्वीकृत रूप से हुई लिपीकीय त्रुटी को ही दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है नवशा रिकॉर्ड ऑफ राईट नही है तथा हस्तगत प्रकरण के सारभूत तथ्यो के अनुसार चाहा गया अनुतोष एक घोषणात्मक अनुतोष है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 89बी के तहत ही नियमित वाद के जरिये ही निर्णित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र विधिसम्मत नही होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विधिसम्वत नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर